



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०-538

दिनांक 02.03.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना -माल

- 03 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण:

थाना माल पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियान के अन्तर्गत 03 नफर वारण्टी अभियुक्त 1- सुशील पुत्र स्व० पगलू नि० ग्राम भभूतिखेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ (वाद सं० 78438/15 मु०अ०सं० 307/15 धारा 354/323/504 भादवि थाना माल) 2- देवी दयाल पुत्र द्वारिका नि० ग्राम सैदापुर थाना माल जनपद लखनऊ (वाद सं० 143079/23 मु०अ०सं० 148/23 धारा 406/504/506 भादवि थाना माल) 3-छोटा पुत्र गुरु नि० ग्राम लोधखेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ (वाद सं० 2703/12 मु०अ०सं० 265ए/02 धारा 323/452/354/506 भादवि थाना माल) को मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम० IV लखनऊ द्वारा जारी वारण्ट के क्रम में, मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम क्रमशः भभूतिखेड़ा,सैदापुर,लोधखेड़ा में अभियुक्तगण के घर दबिश दी गयी, अभियुक्तगण अपने घर पर मौजूद मिले ,माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र से अवगत कराते हुए आज दिनांक 02.03.2025 को पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- सुशील पुत्र स्व० पगलू नि० ग्राम भभूतिखेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 36 वर्ष
- 2- देवी दयाल पुत्र द्वारिका नि० ग्राम सैदापुर थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 55 वर्ष
- 3- छोटा पुत्र गुरु नि० ग्राम लोधखेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 40 वर्ष

03-सम्बन्धित वारण्ट/अभियोग:

- 1- वाद सं० 78438/15 मु०अ०सं० 307/15 धारा 354/323/504 भादवि थाना माल
- 2- वाद सं० 143079/23 मु०अ०सं० 148/23 धारा 406/504/506 भादवि थाना माल
- 3- वाद सं० 2703/12 मु०अ०सं० 265ए/02 धारा 323/452/354/506 भादवि थाना माल

04 गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-उ०नि० श्री ओंकार नाथ
- 2-उ०नि० श्री गिरीशदत्त पाण्डेय
- 3-उ०नि० श्री प्रिन्स कुमार
- 4-उ०नि० श्री अमरपाल साहू
- 5-मु०आ० आदित्य कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 545

दिनांक- 02.03.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-गोसाईगंज

- 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

01-कार्यवाही-

थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा दिनांक 01/02.03.2025 की रात्रि को 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त वारण्टी अभियुक्तगण मा० न्यायालय द्वारा बार-2 सम्मन भेजे जाने के बाद भी मा० न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिनके विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था। थाना स्थानीय से 02 पुलिस टीमों का गठन कर अभियान के तहत 03 वारण्टी अभियुक्तों को उनके घर से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

02-नाम पता वारण्टी अभियुक्तगण-

1. राजकुमार पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम बेगरियामऊ थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र 28 वर्ष
2. शिवदयाल पुत्र बाबू वर्मा निवासी ग्राम बेगरियामऊ थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 59 वर्ष
3. विनोद कुमार रावत पुत्र रामकरन निवासी ग्राम नया पुरवा मजरा निजामपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

02- सम्बन्धित अभियोग-

1. एसटी नं० 81756/14 एनसीआर नं० 274/09 धारा 323/504 भादवि थाना गोसाईगंज, लखनऊ (विरुद्ध क्रमांक 1 व 2)
2. एसटी नं० 1192/22 मु०अ०सं० 300/18 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना गोसाईगंज, लखनऊ (विरुद्ध क्रमांक 3)

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री प्रभात कुमार शुक्ला
2. उ०नि० श्री सुरेश कुमार पाण्डेय
3. उ०नि० श्री चन्द्रशेखर
4. का० दिनेश कुमार पटेल



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-540

दिनांक 02.03.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-गोसाईगंज

- पशु चिकित्सालय में घुसकर चोरी करने व तोड़फोड़ करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार।
- कब्जे से चोरी किये गये 630/- रुपये नगद बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं आधा दर्जन मुकदमों।
- थाना गोसाईगंज पुलिस टीम की सफलता।

संक्षिप्त विवरण-

थाना गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत स्थित पशु चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी श्री बृजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा थाना स्थानीय पर दिये गये प्रा0पत्र के अनुसार दिनांक 01.03.2025 की रात्रि को एक व्यक्ति द्वारा चोरी करने के उद्देश्य से पशु चिकित्सालय की शटर तोड़कर प्रवेश कर चिकित्सालय में रखे प्रिंटर को तोड़ दिया गया एवं अन्य सामान भी इधर-उधर फेंककर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके द्वारा चिकित्सालय में रखे एक हजार रुपये भी चोरी कर लिया गया। रात्रि में शोरगुल होने पर उक्त व्यक्ति को जाते हुए पशु चिकित्सालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों द्वारा देख लिया गया एवं उसकी पहचान पड़ोस में रहने वाले बबलू सिंह के लड़के के रूप में किया गया।

वादी मुकदमा द्वारा दिये गये प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 100/25 धारा 305/324(5)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं सूचना पाकर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 630/- रुपये बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा नशा करने के लिये छोटी-मोटी चोरी करने की बात बतायी गयी तथा शेष रुपयों को शराब पीने में खर्च कर देना बताया गया। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है।

अभियुक्त शातिर किस्म का चोरी का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त:-

राज प्रताप सिंह उर्फ बाबू पुत्र योगेश कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह निवासी निकट पशु चिकित्सालय गोसाईगंज कस्बा व थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 100/25 धारा 331(4)/305/317(2)/324(5) बीएनएस थाना गोसाईगंज

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 170/24 धारा 3(5)/309(6)/317(2) बीएनएस थाना विकासनगर, लखनऊ
2. मु0अ0सं0 171/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विकासनगर, लखनऊ
3. मु0अ0सं0 393/20 धारा 406/420 भादवि थाना गाजीपुर, लखनऊ
4. मु0अ0सं0 363/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आशियाना, लखनऊ
5. मु0अ0सं0 721/20 धारा 379/411/420 भादवि थाना गोमतीनगर, लखनऊ
6. मु0अ0सं0 100/25 धारा 331(4)/305/317(2)/324(5) बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ

बरामदगी का विवरण:-

नगद 630/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजकुमार
2. उ0नि0(प्रशि0) श्री शुभम प्रताप सिंह
3. उ0नि0(प्रशि0) श्री चरन सिंह
4. उ0नि0(प्रशि0) श्री विक्रान्त सिंह
5. हे0का0 जितेन्द्र सिंह यादव



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 547

दिनांक-02.03.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-बकशी का तालाब

- थाना बीकेटी लखनऊ पुलिस एवं साइबर क्राइम टीम द्वारा गायब हुए मोबाइल से सिम निकालकर आनलाइन फ्राड करने वाले अन्तर जनपदीय 02 शांतिर अभियुक्त गिरफ्तार।
- नेक कम्पनी का 05 ग्राम व 01 ग्राम का सिक्का (जार गोल्ड औगमोन्ट गोल्डटेक कम्पनी), विभिन्न कम्पनियों के पाँच अदद स्मार्ट मोबाइल, व 20,810/- रूपया नगद बरामद।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.02.2025 को थाना स्थानीय पर आवेदक द्वारा उसका मोबाइल गायब होने के पश्चात उसके खाते से निकाले गये धनराशि के बारे में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 47/2025 दर्ज हुआ। घटना की गम्भीरता को देखते हुए साइबर क्राइम टीम की सहायता से थाना बीकेटी, लखनऊ पुलिस द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.रामस्वरूप मौर्या पुत्र रामलखन व 2.सुभाष पुत्र संतोष रावत निवासीगण ग्राम परेवाजाल थाना अटरिया जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुकदमा के गायब हुए मोबाइल से सिम निकाल कर मोबाइल नम्बर से लिंक वादी के बैंक खाते से यूपीआई आईडी बनाकर वादी के खाते करीब 03 रूपये की आनलाइन शॉपिंग व ट्रान्जेक्शन कर लेना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रामस्वरूप मौर्या पुत्र रामलखन निवासी ग्राम परेवाजाल, थाना अटरिया जनपद सीतापुर।
2. सुभाष पुत्र संतोष रावत निवासीगण ग्राम परेवाजाल थाना अटरिया जनपद सीतापुर।

04-बरामदगी:-

- नेक कम्पनी का 05 ग्राम व 01 ग्राम का सिक्का (जार गोल्ड औगमोन्ट गोल्डटेक कम्पनी),
- विभिन्न कम्पनियों के पाँच अदद स्मार्ट मोबाइल,
- 20,810/- रूपया नगद

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना बीकेटी पुलिस टीम

- 1.निरीक्षक कैलाश चन्द्र दुबे
- 2.उ0नि0सुशील त्रिपाठी
- 3.उ0नि0 अशोक कुमार यादव
- 3.का0 सचिन यादव
- 4.का0 खैबर अक्वास
- 5.का0 दिलीप कुमार
- 6.का0 लाखीराम

साइबर क्राइम पुलिस टीम

1. उ0नि0 प्रशांत वर्मा
2. हे0का0 शमशाद अली
- 3.का0 अमित तिवारी



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 544

दिनांक 02.03.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना बिजनौर

- थाना बिजनौर पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग करने के आरोपी को किया गया गिरफ्तार ।
- घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.03.2025 को थाना बिजनौर लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरवन नगर में जहाँ पर रोड निर्माण का कार्य पिछले कई दिनों से निरंतर चल रहा था, जहाँ पर एक साइड से ही वाहनों का आवागमन हो रहा था कि अरुण कुमार दूबे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर औरंगाबाद की तरफ से सरवन नगर आ रहा था जो नशे की हालत में था जिसने सुशील कुमार पुत्र श्री परमात्मादीन नि० सरवन नगर कस्बा बिजनौर लखनऊ के वाहन के आगे लगा दी। सुशील कुमार द्वारा यह कहने पर कि अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ कर लीजिए। इतने में ही अभियुक्त अरुण कुमार दूबे उपरोक्त ने गाली देते हुए अपनी लाइसेंसी 315 राइफल सुशील कुमार के ऊपर तान दी जब सुशील कुमार द्वारा इसका विरोध किया तो अरुण कुमार दूबे द्वारा हवाई फायरिंग की गयी थी। जिसके सम्बंध में सुशील कुमार उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 64/25 धारा 125/131/352 बी.एन.एस. बनाम अरुण कुमार दूबे उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

जिसके उपरांत थाना स्तर से विशेष पुलिस टीम का गठन करते हुए अभियुक्त की तलाश पतारसी जारी थी कि दिनांक 02.03.2025 को नामित अभियुक्त अरुण कुमार दूबे उपरोक्त से एक 315 बोर राइफल बरामद कर बालाजीपुरम कालोनी, कस्बा बिजनौर में उसके किराये के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। शस्त्र कैसीलेंसन की रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जायेगी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अरुण कुमार दूबे पुत्र पूनचन्द दूबे निवासी आर्यकुल कालेज के पास, बालाजीपुरम कालोनी में तारकेश्वर पाण्डेय के मकान में किराये पर, कस्बा व थाना बिजनौर लखऊ उम्र करीब 40 वर्ष मूलपता ग्राम व पोस्ट रूपा धमना थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी ।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1- मु०अ०सं० 64/25 धारा 125/131/352 भादवि थाना बिजनौर लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-543

दिनांक 02.03.2025

जोन-पूर्वी/थाना आलमबाग

अज्ञात ई-रिक्शा चालक द्वारा महिला सवारी से अभद्रता, मारपीट व लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण।

- महिला से छेड़खानी व मारपीट कर सामान लूटने वाले ई रिक्शा चालक को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से लूटा गया शत प्रतिशत माल व घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद।
- सर्विलांस टीम डीसीपी पूर्वी व थाना आलमबाग की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।

01-कार्यवाही-

थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा से महिला सवारी को सूनसान रास्ते में ले जाकर मारपीट कर सामान लूटना, व छेड़खानी करने वाले ई रिक्शा चालक नदीम अहमद पुत्र नईम निवासी धौरारा ईशानगर, थाना ईशानगर, जनपद लखीमपुर खीरी, हाल पता कैसरबाग बस अड्डे के पास थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को देवीखेडा रोड के आगे गन्ना संस्थान तिराहे के पास क्षेत्र थाना आलमबाग से लूटे गये संपूर्ण सामान व रूपयों के साथ 24 घण्टे के अंदर दिनांक 02.03.2025 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त नदीम अहमद पुत्र नईम (ई रिक्शा चालक) उपरोक्त द्वारा महिला सवारी को सूनसान रास्ते में ले जाकर मारपीट कर सामान लूटना, व छेड़खानी करने जैसा गंभीर अपराध कारित करना।

03-घटना का विवरण-

दिनांक 01.03.2025 को मुकदमा वादिनी रात्रि समय 10.00 बजे अमीनाबाद से शॉपिंग करके घर वापिस जाने के लिए केशरबाग से इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा बुक करके वापिस घर जा रही थी वादिनी के पास एक बैग में पर्स तथा 1200/- रुपये और ID (Aadhar, PAN 2 Credit card, 2 Debit Card, Voter ID) तथा 2 मोबाइल Realme, Iphone 15 pro थे।

ई-रिक्शा चालक लोको चौराहे तक रिक्शा लाया उसके बाद उसने ई-रिक्शा चारबाग स्टेशन के पीछे वाले रास्ते पर मोड़ दिया शक होने पर वादनी ने ई रिक्शा चालक को टोका तो चौराहे से करीब 100m आगे सुनसान स्थान पर ई-रिक्शा रोका और ई-रिक्शा चालक ने वादिनी मुकदमा को धक्का देकर ई-रिक्शा से गिरा दिया और छेड़खानी और मारपीट किया। ई-रिक्शा चालक बैग और सामान छीनकर भाग गया जिसके संबंध में वादिनी द्वारा दिनांक 02.03.2025 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 74/309(6) बीएनएस थाना आलमबाग लखनऊ पंजीकृत कराया गया था।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नदीम अहमद पुत्र नईम निवासी धौरारा ईशानगर, थाना ईशानगर, जनपद लखीमपुर खीरी, हालपता कैसरबाग बस अड्डे के पास थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

05-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 34/2025 धारा 74/309(6) बीएनएस थाना आलमबाग लखनऊ

06-अभियुक्त नदीम अहमद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 636/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना धौरहरा जनपद खीरी

नोट-अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- अदद मोबाइल फोन आई फोन 15 प्रो
- 01 अदद मोबाइल फोन रियल मी
- 01 बैग में एक पर्स (दो डेबिट कार्ड , दो क्रेडिट कार्ड, एक पैन कार्ड, एक आधारकार्ड , एक वोटर आईडी)
- 1200/- रुपये नगद
- घटना में प्रयुक्त एक अदद ई-रिक्शा नं0- UP32YN6542

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना आलमबाग
2. उ0नि0 धीरज कुमार थाना आलमबाग
3. उ0नि0 दिनेश सिंह थाना आलमबाग
4. हे0का0 रविन्द्र प्रताप वर्मा थाना आलमबाग
5. का0 फतह सिंह थाना आलमबाग
6. का0 रवेन्द्र कुमार थाना आलमबाग
7. हे0का0 संदीप पाण्डेय सर्विलांस टीम डीसीपी पूर्वी

